

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1985]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2018/ज्येष्ठ 10, 1940

No. 1985]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2018/JYAISTHA 10, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2018

का.आ. 2201(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना सं. का.आ. 3238 (अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह त्रिनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

गुमती वन्यजीव अभयारण्य को त्रिपुरा सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना सं. एफ.8(69)/एफओआर-डब्ल्यू एल-88/2623, तारीख 8 सितंबर, 1988 के द्वारा घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 389.54 वर्ग किलोमीटर है;

और, गुमती वन्यजीव अभयारण्य में पुष्प-वनस्पति की विविधता अद्वितीय है और यह पुष्प वनस्पति उचित रूप से वितरित है। यहां जड़ी-बूटियों की बृहत विविधता है। यहां औषधीय रूप से मूल्यवान झाड़ियाँ, आरोहक और वृक्ष प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चैम्पियन और अर्ध वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य में पाई जाने वाली बड़ी वृक्ष प्रजातियों में आर्द पर्णपाती और अर्ध सदाहरित वन शामिल है। यह अभयारण्य 66 पेड़ प्रजातियों, 74 जड़ी-बूटी और झाड़ी प्रजातियों, 30 लता प्रजातियों, 14 अधिपादप प्रजातियाँ और 7 बांस प्रजातियों का संरक्षण स्थल है;

और, अभयारण्य के विशाल खुले क्षेत्र में व्यापक रूप से घास फैली है जिसमें मुख्यतः *इम्पेराटा सीलोनडीका*, *पासपेलम ऑरबिकुलरे*, *सेनटोन डेकटलियायोन*, *शरसोपागोना कीकुलाटा*, *बोधरियोकालेन टरमीडिया*, *सेंटोथेकाला पेसिया*, *ओपलीरुमेनस कॉम्पोस्टीस*, *साइपरस स्पाइसिज*, *फीमब्रीसटाइलिस* प्रजातियाँ हैं। वन संरचना में *टेकटोना ग्रेनडीस*, *अनोगेइसुसा कमीनाटा*, *अलबीजिया प्रोकेश*, *सकीमा वालीची*, *गलोकीडीआन लानकियोलरियस*, *फिकुरस राकेमोसा* प्रजातियाँ हैं। कुछ झाड़ी प्रजातियाँ भी प्रमुख हैं जैसे *सलेरोडेनड्रम वीसकासम*, *ऐंटीडसमा एसीडम*, *क्लोसेना हीपटाफइला*, *साइकोट्रीआ एडेनोफइला*, *ड्रुकेना अंगस्टफोलिया*;

और, अभयारण्य की वृक्ष प्रजातियों में *अकासीया ऑरीकुलीफॉरमीस ग्रीसेब*, *अकासीया केसिया वॉल*, *अलबीजिया प्रोकेरा* (आर.ओ.एक्स.बी) *बेंथ.*, *ऐन्टीडेसमा कमीनाटम वॉल*, *वीसकोफिया जावीनीका बी.।*, *फीकुस रासेमोसा एल.*, *ग्राईनिया रेसीनीफेरा* रोथ शामिल हैं। झाड़ियों में *अबरस प्रीकाटोरियस* (एल.आई.एन.एन.), *एक्यरेंथेस एसपेरा* (एल.आई.एन.एन.), *अधाटोडा जीयलेनीका (मेडिक.)*, *अलोफाइलस कोवे* (एल.आई.एन.एन.), *राइसेल*, *काइक्स गीगनटीया काइनीग एक्स आर.ओ.एक्स.बी*, *दिललेनीया इंडिका (लिन)* शामिल हैं और औषधीय पौधों में *अबरस प्रीकाटोरियस लिन*, *एक्यरेंथेस एसपेरा लिन*, *अधाटोडा जीयलेनीका मेडिक*, *अलबिजिया लेब्वक बेनथ.*, *अलीयम अम्पेलोपरासम (हुक) लिन*, *अलोफाइलस कोव्वे (लिन)*, *राइसेल*, *लासीयस पीनोसा टी.एच.डब्ल्यू*, *रिकीनस काम्मुनीस लिन*, *वेंडलैंडिया टिंकोटोरिया (रोक्सब) डी सी* और *जीजय फुनीकुलोसा मिल* शामिल हैं।

और, अभयारण्य 43 दुर्लभ और संकटापन्न पुष्प प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें *आरटोकारपस लैकुचा* (दौ चमाल), *ऐलेन्थस एक्सेलसा* (जल तुंगी), *अकाकिया निलोटिका* (बबुल), *आल्टोन्सिया स्कोलरिस* (चैटिम), *अल्बिज़िया स्टीपुलेट* (सैटा सिरीश), *अदेंथेरा पवोनिया* (रक्ता चंदन), *आवेरोवा बिलिम्बी* (बिलिम्बी), *आवेरोवा कैरेमबोला* (कामरंगा), *अनोना स्क्वॉमोसा* (सिताफल), *अनोना रेटिक्यूलेट* (नोना), *बमपैक्स सीईबा* (शिमूल), *बिक्सा ऑरैलाना* (लाटकॉन), *क्रेटेवा नूरवाला* (बारुन), *सिनामोमम कैम्फोरा* (करपुर), *सिन्नामोम तमला* (तेज पट्टा), *कोरुपिता ग्वानेंसिस* (नागलिंगम), *सीसस क्राड्रेंगुलरिस* (हरजोरा), *दुआभंगा ग्रैंडिफ्लोरा* (राम दाला), *डाल्वर्गिया सिसो* (शिशु), *डायोस्पिरेस माँन्टाना* (बाना गेब), *डायोस्पिरोस पेरिग्रिना* (गाव), *फिकस इलास्टिक* (इंडियन रबर), *फिकस कृष्ण* (कृष्णा बाँट), *फियोस रिसेमोसा* (जग्गा डुमूर), *फेरो लिमोमोना* (कोइड बेल), *गार्सिनिया कोवा* (कौ फाल), *हाइडनोकारपस कुर्जी* (चलमोगरा), *लेग्रास्ट्रमिया फ्लोस रेगेन* (गैंग जारूल), *मेलोटस फिलिपिनैसिस* (कुंजुना/कमेल), *मेसिया फेरेआ* (नागेश्वर), *मंगिफेरा सिल्वाट्रिका* (लक्ष्मी एम), *मुरा पॉनिकुलाता* (कामिनी), *मिमोसा रुबिकानस* (धिला), *साईडियम गिनेंस* (बन गुवा), *सिजीगियम जेम्बोस* (गोलाप जाम), *सिजीगियम समरगेंसे* (जमरुल), *सिपिन्दुस मुकुरोसा* (रिथा), *सरका अशोका* (अशोक), *स्पोंदास पिन्नता* (अमररी), *स्टेरकुला विलोसा* (उदल), *स्वैतेनिया मैक्रोफिला* (बिग मेहोगोनी), *स्वैतनीया महागोनी* (मेहोगिनी) और *विटेक्स नागुंडू* (निशिन्दा) शामिल हैं;

और, अभयारण्य की विजातीय भू-स्थिति समृद्ध वानस्पतिक विविधता की मौजूदगी के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति है। यहां के मुख्य जीवजंतुओं में एशियाई हाथी, काकड़ हिरण, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, भारतीय साही, मालापत विशाल गिलहरी शामिल हैं। अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूची II) के अधीन घोषित संकटापन्न

प्रजातियों हुलांक उतक, लजीला वानर, केपड लंगुर और पह्येरे पर्ण वानर का आश्रय स्थल है। अभयारण्य पक्षी जीवों से भी समृद्ध है और 124 पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें ड्रोंगो, पैराकिट, स्पाटिड डॉग, क्रोफिसंट, वुडपिकर, ऑउल, किंगफिशर आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में 42 दुर्लभ और लुप्तप्राय जीवजंतु प्रजातियों को आश्रय और संरक्षण मिलता है जिनमें *राणा टाइग्रिना* (पैडी फिल्ड फ्राग), *राणा टाइग्रिनाना डोडिन* (इंडियन बुल फ्राग), *पॉलिडीडेट्स मैकुलाटेस* (ट्री फ्रांग), *टोकस विरोस्टिस* (कॉमन ग्रे हॉर्नबिल), *माइक्रोप्रोटेन्सस ब्राच्यूरस* (रेफ्रोस वुडपीकर), *ट्रेक्टीपेटेकस पाइलटुआ दुर्गा* (कैण्ड लंगुर), *ट्रेक्थिहेकस औबकुरेस फेरेई* (स्पेक्टेले लंगुर), *मानिस पेंटाक्टाइला* (चीनी पैंगोलिन), *बूनोपेटेकस ह्लूक* (हुलांक उतक), *एलीफस मैक्सिमा* (भारतीय हाथी), *फेलिया बेंगलेंसिस* (तेंदुआ बिल्ली), *निक्टिकेबस कौकेंग* (स्लो लोरिस), *मकाका मुल्टा* (रीसस मकाक), *कुओन अल्पाइंस* (जंगली कुत्ता), *मुनटियाकस मुंजैक* (मुंजक), *सस् स्क्रोफा* (वनैला सूअर), *हाइस्ट्रीक्स इंडिका* (भारतीय साही), *फेलिस मरमोराटा* (जंगली बिल्ली), *विवररा जिवाथा* (बड़े भारतीय सिवेट), *हर्पेस्टस अरोपंक्टलुस* (सामान्य नेवला), *हर्पेस्टेश विवा* (लघु भारतीय नेवला), *लुट्रा लुट्रा* (सामान्य उदबिलाव), *कैनिस् औरसुस* (सियार), *मेलरुस अरसिनस* (रीछ), *सिएलेनोरोथोस्टिनीनेटस* (हिमालयन बीयर), *स्काँकोफिलस हीथी* (कॉमन येलो बैट), *रतुफा बिकोलोर* (मालयान विशालकाय गिलहरी), *पैंथर पार्सिस* (तेंदुआ), *माकाका नेमेस्ट्रिना* (पिग टेलड मैकाक्यू), *मकाका आर्टेक्साइड* (स्टम्प टेलड मैकाक्यू), *कैपरा हिरकस* (जंगली बकरी), *टोर टोर* (महाशोल), *पोनितस सोफोर* (सोर पुथी), *डेनियो डेवरियो* (बासपाटा), *बोटिया डारियो* (रानीमैक/बीटंगी), *बगुईस बैगेजियस* (बाच्हा आरयर), *नंडुस नंडुस* (मेनी), *कोलिसा लालिओ* (खलिशा), *कोलिसा चुना* (खैया), *मैक्रोगनथस एसीयूलेटस* (बंगाश), *टेट्राससन कंटकटिया* (बॉल फिश) और *एल्पाकोइलस पंचांच* (चोख कुनी) शामिल हैं;

और, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीवजंतु और पक्षी-जीव पाए जाते हैं। यह क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षक और आश्रय स्थल है। अतः अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है ताकि यहां की जैव-विविधता और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिपुरा राज्य में गुमती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 1.2 किलोमीटर तक विस्तारित 58.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को गुमती वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 14558.04 एकड़ (58.91 वर्ग किलोमीटर) है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्य की सीमा से 0.0 किलोमीटर (अभयारण्य की पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी सीमा में बांग्लादेश के साथ लगी अन्तरराष्ट्रीय सीमा के कारण) से 1.2 किलोमीटर तक फैला हुआ है
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध- I** में दिया गया है।
- (3) अधिकतम और न्यूनतम विस्तार के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना के **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

- (4) अक्षांश और देशान्तर के साथ अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा को दर्शाने वाला राज्य मानचित्र **उपाबंध III** में दिया गया है।
- (5) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न हैं।
- (6) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गाँव उल्टाचेरी, लक्ष्मीपुर गंधाचेरा, सारमा, पंचारत्न, पूर्व पोटाचेरा, जे.बी. पारा, रामनगर, तुइचकमा, ठाकुरचारा, कालाझारी, रत्ननगर, ढालाझारी, भागीरथ, डालापती, ब्रौलखाली, पश्चिम पोटाचेरा, कल्याणसिंह, राइमा, मुकचारी, चाकपुर और मूंगिकामी **उपाबंध V** के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना:-

1. राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
2. राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनायी जाएगी।
3. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जायेगा:-
 - i. पर्यावरण विभाग;
 - ii. वन और वन्यजीव विभाग;
 - iii. कृषि और बागवानी विभाग ;
 - iv. भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग;
 - v. ग्रामीण विकास विभाग;
 - vi. शहरी विकास विभाग;
 - vii. नगरपालिका विभाग;
 - viii. पंचायती राज विभाग;
 - ix. पारि-पर्यटन सहित पर्यटन विभाग;
 - x. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग;
4. जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
5. आंचलिक महायोजना में वन-रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी। जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।
6. आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

7. इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।
8. आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा तथा सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।
9. आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
10. आंचलिक महायोजना राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी। ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

1. भू-उपयोग:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग;

(v) सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(vi) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का सुधार करने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण करने पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

2. **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/ नदियों/चैनलों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना शामिल की जाएगी। इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों का निषेध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश बनाए जाएंगे।

3. पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, :-

(i) अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन सम्बन्धी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

4. **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

5. **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

6. **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

8. **बहिष्कार का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्कारों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित तथा समय समय पर यथासंशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

10. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

12. **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

13. **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

14. **सड़क-यातायात**: - सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

15. **वाहन जनित प्रदूषण**:- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

16. **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

17. **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

18. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3.	बड़ी ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। (ख) परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगा।
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने की वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं जिनमें अंतर्गत ग्रह वास भी हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित

		होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई अनुज्ञात नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि जैसे क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

	प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों या प्रयावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:--

- | | | |
|------|---|--------------|
| i. | संरक्षक/उप वन संरक्षक/उद्यान और अभयारण्य त्रिपुरा सरकार | -अध्यक्ष; |
| ii. | क्षेत्र का वरिष्ठ नगर नियोजक | -सदस्य; |
| iii. | प्रकृति संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे त्रिपुरा सरकार द्वारा नामित किया जायेगा | -सदस्य; |
| iv. | क्षेत्रीय अधिकारी, त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य; |
| v. | त्रिपुरा सरकार द्वारा नामित आसाम राज्य की प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से एक पारिस्थितिकी विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| vi. | राज्य सरकार द्वारा नामित एक जैव विविधता विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| vii. | संभागीय वन अधिकारी, (संरक्षित क्षेत्र) | -सदस्य सचिव। |

6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनः गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VI** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा.सं. 25/33/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध।

गुमती वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरी सीमा :-

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी भाग में अथारामुरा रिजर्व वन और कुलाई रिजर्व वन फैला है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1.2 किलोमीटर रखा गया है। अथारामुरा रिजर्व वन जुरीचारा के ऊपर और पश्चिम दिशा में लक्ष्मीपुर मौजा में है। कुलाई रिजर्व वन की सीमा अमबासा सिविल उप-मंडल के उलेमचारा मौजा से लगती है।

उत्तरी पश्चिम सीमा :-

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी पश्चिम भाग में तेलियामुरा सिविल उप-मंडल के उत्तर गुकुलनगर और दक्षिण गुकुलनगर हैं जहाँ प्रस्तावित प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1.2 किलोमीटर रखा गया है और अमरपुर सिविल उपमंडल का पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर रखा गया है। इन तीनों मौजा में से, दो मौजा अर्थात् उत्तर गुकुलनगर, दक्षिण गुकुलनगर की सीमा उपरी भाग में ब्रमहाचारा के साथ और निचले भाग में जमभुक्चारा के साथ लगती है। पश्चिम कालाझारी आरक्षित वन नामक मौजा दक्षिण गुकुलनगर से नीचे की ओर हैं और इकजनचारा तक फैला है जो दक्षिण गुकुलनगर मौजा की सीमा से लगभग 17.5 किलोमीटर दूर है।

दक्षिण सीमा :-

प्रस्तावित गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। अमरपुर सिविल उप-संभाग के अंतर्गत समीपवर्ती मौजा पश्चिम कलाझारी रिजर्व वन है।

दक्षिण पश्चिम सीमा :

प्रस्तावित गुमती वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अमरपुर सिविल उप-मंडल के अंतर्गत पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर रखा गया है। दक्षिणी पश्चिमी सीमा इकजनचारा के नीचे से प्रारंभ होकर और दक्षिण बिंदु के नीचे दाएं तरफ लगभग 45.0 किलोमीटर फैली है। दक्षिण बिंदु के नीचे, बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। अमरपुर सिविल उप-मंडल के अंतर्गत पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन की सीमा पुरवा कालाझारी रिजर्व वन से लगती है। (जो गुमती वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है।)

उत्तर पूर्व सीमा :-

उत्तर पूर्वी सीमा अमबासा सिविल उप-मंडल के उलेमचारा मौजा से प्रारंभ होकर और गंडाचारा सिविल उप-मंडल के पश्चिम गंडाचारा मौजा तक है। गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी पूर्वी सीमा में उल्लेमचारा, लालचारा, खामुपारा, सीधापारा शामिल है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य और जीनेरापार-उल्लाचारा की सीमा से 0.5 किलोमीटर रखा गया है। जो पश्चिम गंडाचार है, जहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.03 किलोमीटर रखा गया है। उलेमचारा और लालचारा मौजा के मध्य में अमनबासा – गंडाचारा सड़क आती है और इसके बाद राधारामबारी, करमापारा से होकर गुजरती है और अंततः अभयारण्य के बाहर से होकर उल्लाचारा मौजा से मिलती है।


दक्षिण पूर्वी सीमा :

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिण पूर्वीसीमा में गंडाचारा सिविल उप-मंडल के सरमा, बुलंगबासा, रानीपुकुर, कमलखाल, पश्चिम पोटाचारी मौजा शामिल हैं। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.030 किलोमीटर रखा गया है और इसी ओर करबुक सिविल उप-मंडल का चाकपुरा मौजा है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 0.5 मीटर रखा गया है। सरमा मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से गुजरने वाली अमनबासा –गंडाचारा सड़क बुलंगबासा मौजा में पारिस्थितिकी जोन की सीमा से 1.2 किलोमीटर दूर है जो रानीपुकुर मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को छूती है। यह कमलखाल मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से 0.75 किलोमीटर दूर है। पश्चिम राईमा मौजा पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से 2.5 किलोमीटर दूर है। पारिस्थितिकी जोन की सीमा पश्चिम पाटाचारी मौजा में, बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 3.7 किलोमीटर दूर है। चकपुर मौजा में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 4.25 किलोमीटर दूर है।

अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है और इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 0.0 किलोमीटर प्रस्तावित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0.0 किलोमीटर (बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ) से 1.2 किलोमीटर तक है।


उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर के साथ गोमती वन्यजीव अभयारण्य की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र:



उपाबंध-III

अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा और गोमती वन्यजीव अभयारण्य की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को दर्शाने वाला राज्य मानचित्र:



उपाबंध IV

गुमती वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की बाहरी सीमा के प्रमुख बिंदुओं को दर्शाने वाले जीपीएस निर्देशांक :

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '0' मीटर			
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	23° 24' 06.00"	91° 50' 45.36"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '0' मीटर बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा यहाँ '0' रखी गयी है। यह क्षेत्र करबुक उप-मंडल के क्षेत्राधिकार में है।
2	23° 23' 31.88"	91° 50' 20.17"	
3	23° 23' 02.56"	91° 50' 14.39"	
4	23° 22' 35.54"	91° 50' 12.96"	
5	23° 21' 48.72"	91° 50' 00.59"	
6	23° 21' 44.08"	91° 49' 48.84"	
7	23° 21' 44.03"	91° 49' 36.10"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '500' मीटर			
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	23° 25' 30.26"	91° 51' 24.11"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट '500' मीटर करबुक उप-मंडल के चाकपुरा मौजा की सीमा से लगता है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा यहाँ 500 मीटर रखी गयी है।
2	23° 25' 22.15"	91° 51' 19.94"	
3	23° 25' 06.96"	91° 50' 45.04"	
4	23° 24' 18.27"	91° 50' 55.08"	
5	23° 24' 05.69"	91° 50' 45.67"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट "30" मीटर			
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1.	23° 41' 09.68"	91° 54' 35.61"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट "30" मीटर की सीमा गंडाचारा उपमंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को गंडाचारा उप-मंडल की सीमा से 30 मीटर रखा गया है।
2.	23° 40' 27.87"	91° 54' 09.65"	
3.	23° 39' 55.45"	91° 53' 23.18"	
4.	23° 39' 45.38"	91° 53' 08.34"	
5.	23° 39' 45.46"	91° 52' 39.93"	
6.	23° 39' 01.45"	91° 52' 26.75"	
7.	23° 38' 44.98"	91° 51' 49.05"	
8.	23° 39' 0.20"	91° 51' 25.25"	
9.	23° 38' 15.06"	91° 50' 28.07"	
10.	23° 38' 17.35"	91° 50' 15.95"	
11.	23° 38' 56.15"	91° 49' 56.90"	
12.	23° 38' 34.21"	91° 49' 39.53"	
13.	23° 38' 27.07"	91° 48' 11.35"	
14.	23° 36' 58.39"	91° 48' 08.98"	
15.	23° 36' 52.81"	91° 48' 15.29"	
16.	23° 36' 17.03"	91° 48' 16.36"	
17.	23° 36' 08.86"	91° 48' 26.55"	
18.	23° 35' 40.77"	91° 48' 40.14"	
19.	23° 35' 30.47"	91° 48' 38.50"	
20.	23° 35' 19.17"	91° 48' 21.01"	


21.	23°34'51.90"	91°48'27.99"	
22.	23°34'48.93"	91°48'39.66"	
23.	23°34'40.48"	91°48'44.00"	
24.	23°38'31.86"	91°48'42.82"	
25.	23°34'14.35"	91°48'54.12"	
26.	23°33'42.04"	91°48'34.36"	
27.	23°33'18.31"	91°48'31.06"	
28.	23°33'01.04"	91°48'40.75"	
29.	23°32'53.33"	91°49'02.42"	
30.	23°32'31.55"	91°49'09.44"	
31.	23°32'18.09"	91°49'24.33"	
32.	23°32'04.89"	91°49'25.25"	
33.	23°31'07.95"	91°49'05.54"	
34.	23°30'45.47"	91°48'57.23"	
35.	23°30'40.11"	91°49'02.19"	
36.	23°30'26.84"	91°49'20.64"	
37.	23°30'02.88"	91°49'20.30"	
38.	23°29'43.47"	91°48'58.07"	
39.	23°29'27.24"	91°48'58.09"	
40.	23°29'14.50"	91°49'08.80"	
41.	23°28'52.57"	91°49'14.86"	
42.	23°28'42.31"	91°49'34.89"	
43.	23°28'21.74"	91°49'40.98"	
44.	23°28'11.86"	91°49'50.17"	
45.	23°28'09.63"	91°50'03.20"	
46.	23°27'49.53"	91°50'12.03"	
47.	23°27'41.12"	91°50'19.83"	
48.	23°27'38.10"	91°50'39.90"	
49.	23°27'43.92"	91°50'51.14"	
50.	23°27'38.27"	91°50'56.24"	
51.	23°27'40.97"	91°51'15.48"	
52.	23°27'15.98"	91°51'44.46"	
53.	23°26'57.16"	91°51'50.90"	
54.	23°26'22.85"	91°51'44.30"	
55.	23°25'30.52"	91°51'14.20"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम भाग में आफसेट "500" मीटर			
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1.	23°21'44.73"	91°49'23.89"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम भाग में

2.	23°24'39.88"	91°49'04.37"	आफसेट" 500 "मीटर की सीमा अमरपुरा उपमंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अमरपुर उप- मंडल की सीमा से 500 मीटर रखा गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले मौजा पुरबा मनीक्या दीवान और पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन हैं।
3.	23°26'40.63"	91°48'30.17"	
4.	23°27'28.15"	91°47'42.59"	
5.	23°27'59.10"	91°47'22.27"	
6.	23°29'09.75"	91°47'03.35"	
7.	23°30'23.42"	91°46'06.49"	
8.	23°32'09.19"	91°45'03.28"	
9.	23°33'34.98"	91°44'53.76"	
10.	23°34'44.05"	91°44'24.75"	
11.	23°36'24.55"	91°44'11.25"	
12.	23°37'53.23"	91°44'17.29"	
13.	23°38'21.15"	91°44'13.20"	
14.	23°38'42.23"	91°43'54.44"	
15.	23°39'42.83"	91°44'14.87"	
16.	23°40'18.05"	91°44'12.84"	
17.	23°40'34.62"	91°43'51.85"	
18.	23°40'57.00"	91°43'44.01"	
19.	23°41'21.80"	91°43'51.62"	
20.	23°41'46.76"	91°44'18.08"	
21.	23°42'02.56"	91°44'19.90"	
22.	23°42'32.04"	91°44'12.71"	
23.	23°43'00.03"	91°43'49.87"	
24.	23°43'22.04"	91°43'09.81"	
25.	23°44'11.57"	91°42'34.96"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट "500" मीटर			
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1.	23°48'23.09"	91°47'28.07"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट "500" मीटर की सीमा अमबासा उप- मंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अमबासा उप-मंडल की सीमा से 500 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उलेमचारा, लालचारा, खामपारा और रिजर्व वन मौजा आते हैं।
2.	23°48'03.43"	91°47'29.79"	
3.	23°47'46.96"	91°47'17.95"	
4.	23°47'34.80"	91°47'22.78"	
5.	23°47'27.91"	91°47'45.15"	
6.	23°47'07.15"	91°48'05.64"	
7.	23°46'10.39"	91°48'31.11"	
8.	23°46'01.51"	91°48'56.68"	
9.	23°46'09.52"	91°49'27.60"	
10.	23°45'59.07"	91°50'21.09"	
11.	23°45'12.27"	91°51'07.18"	
12.	23°45'08.10"	91°51'28.25"	
13.	23°44'04.49"	91°51'25.45"	

14	23°43'48.71"	91°51'46.08"	
15	23°43'21.76"	91°51'48.67"	
16	23°43'06.60"	91°52'09.00"	
17	23°42'51.21"	91°52'19.75"	
18	23°42'27.67"	91°52'06.88"	
19	23°42'21.73"	91°51'57.84"	
20	23°42'21.91"	91°52'42.87"	
21	23°41'28.18"	91°52'46.80"	
22	23°41'27.36"	91°53'06.88"	
23	23°41'42.05"	91°53'26.46"	
24	23°41'46.45"	91°53'46.59"	
25	23°41'16.47"	91°53'47.13"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर			
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	23°43'58.34"	91°41'59.48"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट "1200" मीटर की सीमा तेलियामुरा उप-मंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अथारामुरा रिजर्व वन और कुलाई रिजर्व वन मौजा आते हैं।
2	23°44' 28.43"	91°41'24.39"	
3	23°44'59.34"	91°41'22.89"	
4	23°45'27.73"	91°41'32.75"	
5	23°44'09.89"	91°41'18.80"	
6	23°46'56.09"	91°41'27.39"	
7	23°48'16.91"	91°41'01.95"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर			
1	23°48'34.20"	91°42'29.74"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर की सीमा तेलियामुरा उप-मंडल से लगती है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में दक्षिण गुकुलनगर मौजा आता है।
2	23°48'30.31"	91°43'03.53"	
3	23°48'14.03"	91°43'17.39"	
4	23°48'23.93"	91°43'37.17"	
5	23°48'21.58"	91°44'04.48"	
6	23°48'29.63"	91°44'39.24"	
7	23°48'13.99"	91°45'06.25"	
8	23°48'22.82"	91°45'09.05"	
9	23°48'36.92"	91°45'34.82"	
10	23°48'36.81"	91°46'00.15"	
11	23°48'28.51"	91°46'10.93"	
12	23°48'31.42"	91°46'25.95"	
13	23°48'43.53"	91°46'31.42"	
14	23°48'50.78"	91°47'09.88"	
15	23°48'32.43"	91°47'41.87"	

उपाबंध V

अक्षांश और देशांतर के साथ गोमती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्रामों की अवस्थिति को दर्शाने वाला मानचित्र:



उपाबंध VI

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2018

S.O. 2201 (E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3238 (E), dated 1st December, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Gumti Wildlife Sanctuary was declared on 18th September, 1988 *vide* Notification No. F.8(69)/For-WL-88/2627, dated 08-09-1988, U/S 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 covering an area of 389.54 Sq. km by the Government of Tripura;

AND WHEREAS, the floral diversity of the Gumti Wildlife Sanctuary is unique and well distributed in the tires of floral canopies, large varieties of the herbs, shrubs, climber and tree species found in the sanctuary have medicinal value. Major tree species, occurring in association, found in the sanctuary comprising of moist deciduous and semi evergreen forest as per champion and semi classification. The sanctuary supports about 66 tree species, 74 herbs and shrub species, 30 species of climbers, 14 species of epiphytes, and 7 species of bamboo;

AND WHEREAS, a large open area of the Sanctuary has covered with a vast expanse of grasses which dominated by *Imperata cylindrica*, *Paspalum orbiculare*, *Cynodon dactylon*, *Chrysopogon aciculata*, *Bothriochola intermedia*, *Centotheca lappacea*, *Oplismenus compositus*, *Cyperus* species, *Fimbristylis* species. Forests are mainly

composed of *Tectona grandis*, *Anogeissus acuminata*, *Albizia procera*, *Schima wallichii*, *Glochidion lanceolarium* and *Ficus racemosa* species. The dominating shrub species in the sanctuary are *Clerodendrum viscosum*, *Antidesma acidum*, *Clausena heptaphylla*, *Psychotria adenophylla*, *Dracena angustifolia*;

AND WHEREAS, the Sanctuary consists of tree species *Acacia auriculiformis* Griseb, *Acacia caesia* Wall, *Albizia procera* (Roxb.) Benth., *Antidesma acuminatum* Wall., *Bischofia javanica* Bl., *Ficus racemosa* L., *Gardenia resinifera* Roth. The shrubs include *Abrus precatorious* (Linn.), *Achyranthes aspera* (Linn.), *Adhatoda zeylenica* (Medic.), *Allophylus cobbe* (Linn.) Raeschel, *Coix gigantia* Koenig ex Roxb, *Dillenia indica* (Linn.) and medicinal plants in the Sanctuary are *Abrus precatorious* Linn., *Achyranthes aspera* Linn., *Adhatoda zeylenica* Medic., *Albizia lebbek* Benth., *Allium ampeloprasum* (Hook.) Linn., *Allophylus cobbe* (Linn.) Raeschel, *Lasia spinosa* Thw., *Ricinus communis* Linn., *Wendlandia tinctoria* (Roxb.) DC. and *Zizyphus funiculosa* Mill.;

AND WHEREAS, the Sanctuary supports conservation and protection of 43 rare and endangered floral species including *Artocarpus lakoocha* (Deua chamal), *Ailanthus exelsa* (Jal tungi), *Accacia nilotica* (Babul), *Alstonia scholaris* (Chatim), *Albizia stipulate* (Seta sirish), *Adenanthera pavonia* (Rakta chandan), *Averrhoa bilimbi* (Bilimbi), *Averrhoa carambola* (Kamranga), *Anona squamosa* (Sitaphal), *Anona reticulate* (Nona), *Bombax ceiba* (Shimul), *Bixa orellana* (Latkon), *Crataeva nurvala* (Barun), *Cinnamomum camphora* (Karpur), *Cinnamomum tamala* (Tej Patta), *Couroupita guianensis* (Nagalingam), *Cissus quadrangularis* (Harzora), *Duabhangia grandiflora* (Ram Dala), *Dalbergia sissoo* (Shisoo), *Diospyros Montana* (Ban Gaab), *Diospyros perigrina* (Gaab), *Ficus elastic* (Indian rubber), *Ficus krishnae* (Krishna Bot), *Ficus recemosa* (Jagga Dumur), *Feronia limonia* (Koed Bel), *Garcinia cowa* (Kau phal), *Hydnocarpus kurzii* (Chalmogra), *Lagerstroemia flos regene* (Gang Jarul), *Mellotus philipinensis* (Kunjuna / Kamela), *Mesua ferrea* (Nageswar), *Mangifera sylvatica* (Laxmi Am), *Murraya paniculata* (Kamini), *Mimosa rubicanas* (Ghila), *Psidium guineense* (Ban guava), *Syzigium jambos* (Golap Jam), *Syzigium samarangense* (Jamrul), *Sapindus mucorosa* (Ritha), *Saraca asoca* (Ashok), *Spondias pinnata* (Amrra), *Sterculia villosa* (Udal), *Swetenia macrophylla* (Big Mehogony), *Swetenia mahagoni* (Mehogini) and *Vitex nagundu* (Nishinda);

AND WHEREAS, heterogeneous landscapes of the Sanctuary provide ideal environmental condition for the occurrence of rich faunal biodiversity and main fauna are Asian Elephant, Barking dear, Wild Pig, Jungle Cat, Indian Porcupine, Malayan Giant Squirrel. Sanctuary also supports threatened species including Hoolock gibbons, Slow loris, Capped langur and Phayre's leaf monkey, declared under Wild Life (Protection) Act, 1972 (Schedule I / II). The Sanctuary is astonishing rich in avifauna and supports 124 bird species including Drongo, Parakeet, Spotted Dog, Crowpasant, Woodpicker, Owel, Kingfisher etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary supports and protection of 42 rare and endangered faunal species including *Rana tigrina* (Paddy field frog), *Rana tigrina daudin* (Indian bull frog), *Polypedates maculates* (Tree frog), *Tockus birostris* (Common grey hornbill), *Microptornus brachyurus* (Refous woodpecker), *Trachypithecus pileatua durga* (Capped langur), *Trachypithecus obscures phayrei* (Spectacle langur), *Manis pantacactyla* (Chinese Pangolin), *Bunopithecus hoolook* (Hoolook Gibbon), *Elephus maxima* (Indian elephant), *Felia bengalensis* (Leopard cat), *Nycticebus coucang* (Slow Lorris), *Macaca mulatta* (Rhesus macaque), *Cuon alpines* (Wild Dog), *Muntiacus muntjak* (Barking deer), *Sus crofa* (Wild Boar), *Hystrix indica* (Indian porcupine), *Felis marmorata* (Jungle cat), *Viverra Zibatha* (Large Indian Civet), *Herpestes auropunctatus* (Common mongoose), *Herpestes viva* (Small Indian mongoose), *Lutra lutra* (Common Otter), *Canis aursus* (Jackel), *Melursus ursinus* (Sloth beer), *Sielenoretosthinatanus* (Himalayan beer), *Scotophilus heathi* (Common yellow Bat), *Ratufa bicolor* (Malyan giant squirrel), *Panther parvus* (Leopard), *Macaca nemestrina* (Pig tailed Macaque), *Macaca arctoides* (Stump tailed Macaque), *Capra hircus* (Wild Goat), *Tor tor* (Mahashol), *Ponitus sophore* (Sor puthi), *Denio devario* (Baspata), *Botia dario* (Ranimacch / Betrangi), *Bagarius bagarius* (Bagha Aire), *Nandus nandus* (Meni), *Colisa lalio* (Khalisha), *Colisa chuna* (Khaiya), *Macrognathus aculeatus* (Bangash), *Tetrasdon cutcutia* (Ball Fish) and *Alpocheilus panchax* (Chokh Kuni);

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the Sanctuary from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 58.91 Sq. Km with an extent varying from 0 to 1.2 Km from the boundary of the Gumti Wildlife Sanctuary in the State of Tripura as the Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under:-

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone:-**

- (1) The area of Eco-Sensitive Zone is 14558.04 acres (58.91 Sq. Km). The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km (due to international boundary with Bangladesh in East and South-East border of the Sanctuary) to 1.2 Km from the boundary of the Sanctuary.
- (2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is given in **Annexure I**.

- (3) A map of Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure II**.
- (4) The State Map showing the Sanctuary and Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude as **Annexure III**.
- (5) The coordinates of Eco-Sensitive Zone with its latitudes and longitudes, appended as **Annexure IV**.
- (6) The villages falling within Eco-Sensitive Zone are, Ultacherra, Laxmipur, Gandhacherra, Sarma, Pancharatan, East Potacherra, J.B. para, Ramnagar, Tuichakma, Thakurcharra, Kalajhari, Ratannagar, Dhalajhari, Bhagirath, Dalapati, Boalkhali, West Potacherra, Kalyansingh, Raima, Mukcharri, Chakpur and Mungiakami, appended as **Annexure V**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone:-

1. The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
2. The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:
 - i. Environment Department;
 - ii. Forest and Wildlife Department;
 - iii. Agriculture & Horticulture Department;
 - iv. Land Revenue and Settlement Department;
 - v. Rural Development Department;
 - vi. Urban Development Department;
 - vii. Municipal Department;
 - viii. Panchayati Raj Department;
 - ix. Tourism including Eco-tourism Department;
 - x. Irrigation and Flood Control Department.
4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
7. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
8. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.
9. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
10. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. Measures to be taken by State Government:-

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely:

1. Landuse:

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries;
 - (v) Convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (vi) Promoted activities and activities given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

2. Natural water bodies:

The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

3. Tourism/ Eco-tourism:

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and

recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

4. Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. Man-made heritage sites: Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.

6. Noise pollution: Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and amendments thereto.

7. Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

8. Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

9. Solid wastes: Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time and the relevant rules notified by the state Government;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

10. Bio-medical waste: Bio-medical waste management shall be as under:

- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

11. Plastic Waste Management: The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

12. Construction and Demolition Waste Management: The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. E-waste Management: The e-waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

14. Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. Vehicular Pollution: The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

16. Industrial Units:

- (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T. N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. (b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected

		Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism / Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer;</p> <p>(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.

19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of plastic bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification:-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| (i) | The Conservator of Forests/Deputy Conservator of Forests/ Park and Sanctuary, Government of Tripura | -Chairman; |
| (ii) | Senior Town Planner of the area | -Member; |
| (iii) | Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Tripura | -Member; |
| (iv) | Regional Officer, Tripura State Pollution Control Board | -Member; |
| (v) | One expert in Ecology from reputed Institution/University of Assam to be nominated by the Government of Tripura | -Member; |
| (vi) | Expert in biodiversity to be nominated by State Govt. | -Member; |
| (vii) | Divisional Forest Officer (PA) | -Member Secretary. |

6. Terms of Reference:-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said Notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure VI.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.
8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/33/2015-ESZ/RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I**Boundary description of the Eco-Sensitive Zone (ESZ) of Gumti Wildlife Sanctuary, Tripura****Northern boundary:**

Northern side of proposed ESZ of the Sanctuary consists of Atharamura Reserve Forest (RF) and Kulai RF Extension where ESZ boundary is kept as 1.2 Km from the boundary of the Sanctuary. The Atharamura RF is just above the Juricharra and in the Western side Lakshmipur Mouja. Kulai Reserve Forest Extension is bordering with Ulemcharra Mouja of Ambassa Civil Sub-Division.

North-Western boundary:

North-West side of proposed ESZ of the Sanctuary consists of Uttar Gukulnagar, Dakshin Gukulnagar of Teliamura Civil Sub-Division where proposed ESZ boundary is kept as 1.2 km from the boundary of the Sanctuary and Paschim Kalajhari RF of Amarpur Civil Sub-Division where proposed ESZ boundary is kept as 0.5 Km from the boundary of the Sanctuary. Out of three Moujas, two mouja namely Uttar Gukulnagar and Dakshin Gukulnagar is bordering with BramhaChhara in the upper side and Jambhukchhara in the lower side. The Mouja i.e. Paschim Kalajhari RF is below the Dakshin Gukulnagar and extend up to EkjanCharra which is approximately 17.5 km from the boundary of the Dakshin Gukulnagar Mouja.

Southern boundary:

Southern boundary of proposed ESZ of the Sanctuary is bordering with international Border with Bangladesh. Adjoining Mouja is Paschim Kalajhari RF under Amarpur Civil Sub-Division.

South -Western boundary:

South-Western boundary of proposed ESZ of the Sanctuary consist of Paschim Kalajhari RF under Amarpur Civil Sub-Division where proposed ESZ boundary is kept as 0.5 Km from the boundary of the Sanctuary. The South-West sides starts below the EkjanCharra and extend right below the South point extending approximately 45.0 km. Below the South point there an international Border with Bangladesh. The Paschim Kalajhari RF under Amarpur Civil Sub-Division is bordering with Purba Kalajhari RF (which is within the Sanctuary).

North-Eastern boundary:

North-Eastern boundary starts from Ulemchhara Mouja of Ambassa Civil Sub-Division and extend up to Paschim Gandacharra Mouja of Gandacharra Civil Sub-Division. The North-Eastern boundary of proposed ESZ of the Sanctuary consist of Ulemchhara, Lalchhara, Khamupara, Siddhapara where proposed ESZ boundary is kept as 0.5 km from the boundary of the sanctuary and Jineraipara, Ultacharra an Paschim Gandacharra where proposed ESZ boundary is kept as 0.03 Km from the boundary of the Sanctuary. The Ambassa-Gandachhara road enters in the middle of the Ulemchhara and Lalcharra Mouja and then passing through Karmapara, Radharambari and finally passing through outside the Sanctuary where it meets at Ultacharra Mouja.


South -Eastern boundary:

South-Eastern boundary of proposed ESZ of the Sanctuary consist of Sarma, Bulangbasa, Ranipukur, Kamalkhal, Paschim Raima, Paschim Potachhari Mouja of Gandachhara Civil Sub-Division where ESZ boundary is kept as 0.030 Km from the boundary of the Sanctuary and Chackpur Mouja of Karbook Civil Sub-Division where ESZ boundary is kept as 0.5 Km from the boundary of the Sanctuary. The Ambassa-Gandachhara road passing through the border of the ESZ at Sarma Mouja, 1.2 Km away from the boundary of ESZ at Bulangbasa Mouja, touching the boundary of ESZ at Ranipukur Mouja, 0.75 Km away from the boundary of ESZ at Kamalkhal Mouja, 2.5 Km from the boundary of ESZ at Paschim Raima Mouja. In Paschim Potachhari Mouja, the ESZ boundary is approximately 3.7 Km away from international border with Bangladesh. In Chakpur Mouja, the ESZ boundary is approximately 4.25 Km away from international border with Bangladesh.

The Southern boundary of the Sanctuary share international boundary with Bangladesh and hence is 0.0 km of Eco-Sensitive Zone is being proposed. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km (International Boundary with Bangladesh) to 1.2 km.


Annexure II

Map of Eco-Sensitive Zone boundary of Gumti Wildlife Sanctuary together with its latitudes and longitude of extremes and extent:



Annexure III

State Map showing the Gumti Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent:



Annexure IV**GPS coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-Sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary:**


Offset '0' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	Latitude	Longitude	Remarks
1	23° 24' 06.00"	91° 50' 45.36"	Offset '0' meter at South East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with international border with Bangladesh. The proposed ESZ boundary is kept here as zero. This area falls within the jurisdiction of Karbook Sub-Division.
2	23° 23' 31.88"	91° 50' 20.17"	
3	23° 23' 02.56"	91° 50' 14.39"	
4	23° 22' 35.54"	91° 50' 12.96"	
5	23° 21' 48.72"	91° 50' 00.59"	
6	23° 21' 44.08"	91° 49' 48.84"	
7	23° 21' 44.03"	91° 49' 36.10"	
Offset '500' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	Latitude	Longitude	Remarks
1	23° 25' 30.26"	91° 51' 24.11"	Offset '500' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Chakpur Mouja of Karbook Sub-Division. The proposed ESZ boundary is kept as 500 meter.
2	23° 25' 22.15"	91° 51' 19.94"	
3	23° 25' 06.96"	91° 50' 45.04"	
4	23° 24' 18.27"	91° 50' 55.08"	
5	23° 24' 05.69"	91° 50' 45.67"	
Offset '30' meter at South-East side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	Latitude	Longitude	Remarks
1.	23° 41' 09.68"	91° 54' 35.61"	Offset '30' meter at South East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Gandachhara Sub-Division. The proposed ESZ boundary is kept here as 30 meter from the boundary of Gandachhara Sub-Division.
2.	23° 40' 27.87"	91° 54' 09.65"	
3.	23° 39' 55.45"	91° 53' 23.18"	
4.	23° 39' 45.38"	91° 53' 08.34"	
5.	23° 39' 45.46"	91° 52' 39.93"	
6.	23° 39' 01.45"	91° 52' 26.75"	
7.	23° 38' 44.98"	91° 51' 49.05"	
8.	23° 39' 0.20"	91° 51' 25.25"	
9.	23° 38' 15.06"	91° 50' 28.07"	
10.	23° 38' 17.35"	91° 50' 15.95"	
11.	23° 38' 56.15"	91° 49' 56.90"	
12.	23° 38' 34.21"	91° 49' 39.53"	
13.	23° 38' 27.07"	91° 48' 11.35"	
14.	23° 36' 58.39"	91° 48' 08.98"	
15.	23° 36' 52.81"	91° 48' 15.29"	
16.	23° 36' 17.03"	91° 48' 16.36"	
17.	23° 36' 08.86"	91° 48' 26.55"	
18.	23° 35' 40.77"	91° 48' 40.14"	
19.	23° 35' 30.47"	91° 48' 38.50"	
20.	23° 35' 19.17"	91° 48' 21.01"	
21.	23° 34' 51.90"	91° 48' 27.99"	
22.	23° 34' 48.93"	91° 48' 39.66"	
23.	23° 34' 40.48"	91° 48' 44.00"	
24.	23° 38' 31.86"	91° 48' 42.82"	
25.	23° 34' 14.35"	91° 48' 54.12"	
26.	23° 33' 42.04"	91° 48' 34.36"	
27.	23° 33' 18.31"	91° 48' 31.06"	
28.	23° 33' 01.04"	91° 48' 40.75"	
29.	23° 32' 53.33"	91° 49' 02.42"	
30.	23° 32' 31.55"	91° 49' 09.44"	
31.	23° 32' 18.09"	91° 49' 24.33"	
32.	23° 32' 04.89"	91° 49' 25.25"	
33.	23° 31' 07.95"	91° 49' 05.54"	
34.	23° 30' 45.47"	91° 48' 57.23"	
35.	23° 30' 40.11"	91° 49' 02.19"	
36.	23° 30' 26.84"	91° 49' 20.64"	

37.	23°30'02.88"	91°49'20.30"	
38.	23°29'43.47"	91°48'58.07"	
39.	23°29'27.24"	91°48'58.09"	
40.	23°29'14.50"	91°49'08.80"	
41.	23°28'52.57"	91°49'14.86"	
42.	23°28'42.31"	91°49'34.89"	
43.	23°28'21.74"	91°49'40.98"	
44.	23°28'11.86"	91°49'50.17"	
45.	23°28'09.63"	91°50'03.20"	
46.	23°27'49.53"	91°50'12.03"	
47.	23°27'41.12"	91°50'19.83"	
48.	23°27'38.10"	91°50'39.90"	
49.	23°27'43.92"	91°50'51.14"	
50.	23°27'38.27"	91°50'56.24"	
51.	23°27'40.97"	91°51'15.48"	
52.	23°27'15.98"	91°51'44.46"	
53.	23°26'57.16"	91°51'50.90"	
54.	23°26'22.85"	91°51'44.30"	
55.	23°25'30.52"	91°51'14.20"	
Offset '500' meter at South-West side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	Latitude	Longitude	Remarks
1.	23°21'44.73"	91°49'23.89"	Offset '500' meter at South West side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Amarpur Sub-Division. The proposed ESZ boundary is kept here as 500 meter from the boundary of Amarpur Sub-Division. The Moujas falling in the proposed ESZ are PurbaManikyaDewan&PaschimKalajhari RF.
2.	23°24'39.88"	91°49'04.37"	
3.	23°26'40.63"	91°48'30.17"	
4.	23°27'28.15"	91°47'42.59"	
5.	23°27'59.10"	91°47'22.27"	
6.	23°29'09.75"	91°47'03.35"	
7.	23°30'23.42"	91°46'06.49"	
8.	23°32'09.19"	91°45'03.28"	
9.	23°33'34.98"	91°44'53.76"	
10.	23°34'44.05"	91°44'24.75"	
11.	23°36'24.55"	91°44'11.25"	
12.	23°37'53.23"	91°44'17.29"	
13.	23°38'21.15"	91°44'13.20"	
14.	23°38'42.23"	91°43'54.44"	
15.	23°39'42.83"	91°44'14.87"	
16.	23°40'18.05"	91°44'12.84"	
17.	23°40'34.62"	91°43'51.85"	
18.	23°40'57.00"	91°43'44.01"	
19.	23°41'21.80"	91°43'51.62"	
20.	23°41'46.76"	91°44'18.08"	
21.	23°42'02.56"	91°44'19.90"	
22.	23°42'32.04"	91°44'12.71"	
23.	23°43'00.03"	91°43'49.87"	
24.	23°43'22.04"	91°43'09.81"	
25.	23°44'11.57"	91°42'34.96"	
Offset '500' meter at North-East side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	Latitude	Longitude	Remarks
1.	23°48'23.09"	91°47'28.07"	Offset '500' meter at North East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Ambassa Sub-Division. The proposed ESZ boundary is kept here as 500 meter from the boundary of Ambassa Sub-Division. The Mouja falling in the proposed ESZ are Ulemchhara, Lalchhara, Khamupara&Siddhapara.
2.	23°48'03.43"	91°47'29.79"	
3.	23°47'46.96"	91°47'17.95"	
4.	23°47'34.80"	91°47'22.78"	
5.	23°47'27.91"	91°47'45.15"	
6.	23°47'07.15"	91°48'05.64"	
7.	23°46'10.39"	91°48'31.11"	
8.	23°46'01.51"	91°48'56.68"	
9.	23°46'09.52"	91°49'27.60"	

10	23°45'59.07"	91°50'21.09"	
11	23°45'12.27"	91°51'07.18"	
12	23°45'08.10"	91°51'28.25"	
13	23°44'04.49"	91°51'25.45"	
14	23°43'48.71"	91°51'46.08"	
15	23°43'21.76"	91°51'48.67"	
16	23°43'06.60"	91°52'09.00"	
17	23°42'51.21"	91°52'19.75"	
18	23°42'27.67"	91°52'06.88"	
19	23°42'21.73"	91°51'57.84"	
20	23°42'21.91"	91°52'42.87"	
21	23°41'28.18"	91°52'46.80"	
22	23°41'27.36"	91°53'06.88"	
23	23°41'42.05"	91°53'26.46"	
24	23°41'46.45"	91°53'46.59"	
25	23°41'16.47"	91°53'47.13"	
Offset '1200' meter at North-West side of Gumti Wildlife Sanctuary			
<i>Sl. No.</i>	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>	<i>Remarks</i>
1	23°43'58.34"	91°41'59.48"	Offset '1200' meter at North-West side of Sanctuary is bordering with Teliamura Sub-Division. The proposed ESZ boundary is kept here as 1200 meter from the boundary of the Sanctuary. The Mouja falling in the proposed ESZ are Atharamura RF & Kulai RF Extension.
2	23°44' 28.43"	91°41'24.39"	
3	23°44'59.34"	91°41'22.89"	
4	23°45'27.73"	91°41'32.75"	
5	23°44'09.89"	91°41'18.80"	
6	23°46'56.09"	91°41'27.39"	
7	23°48'16.91"	91°41'01.95"	
Offset '1200' meter at West side of Gumti Wildlife Sanctuary			
1	23°48'34.20"	91°42'29.74"	Offset '1200' meter at West side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Teliamura Sub-Division. The proposed ESZ boundary is kept here as 1200 meter from the boundary of the Sanctuary. The Mouja falling in the proposed ESZ are Dakshin Gokulnagar and Uttar Gokulnagar.
2	23°48'30.31"	91°43'03.53"	
3	23°48'14.03"	91°43'17.39"	
4	23°48'23.93"	91°43'37.17"	
5	23°48'21.58"	91°44'04.48"	
6	23°48'29.63"	91°44'39.24"	
7	23°48'13.99"	91°45'06.25"	
8	23°48'22.82"	91°45'09.05"	
9	23°48'36.92"	91°45'34.82"	
10	23°48'36.81"	91°46'00.15"	
11	23°48'28.51"	91°46'10.93"	
12	23°48'31.42"	91°46'25.95"	
13	23°48'43.53"	91°46'31.42"	
14	23°48'50.78"	91°47'09.88"	
15	23°48'32.43"	91°47'41.87"	

Annexure V

Map showing location of villages in Eco-Sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary together with its latitudes and longitude:



Annexure VI**Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee : Pro forma of Action Taken Report:-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: